

25

25.02.2022 पत्रावली के 24 दिनों में मजिस्ट्रेट मपीलांत ज.।
 रेखा. संख्या 01 की तर्क से राजकीय
 मजिस्ट्रेट ज.। मपीलांत मजिस्ट्रेट
 ने जालना-पत्र पर बहल करते हुए
 निवेदन किया कि मपीलांत की मपीलांत
 मजिस्ट्रेट राजकीय मजिस्ट्रेट पत्र में भारतीय
 की 24 दिनों मपीलांत का निवेदन है कि
 प्रकरण में गुणवत्ता पर सुनवाई का
 अवसर दिया जाये ताकि निवेदन स्वीकार
 कर लिया जाये।

राजकीय मजिस्ट्रेट ने जालना-पत्र
 पर बहल करते हुए निवेदन किया
 कि मपीलांत का निवेदन स्वीकार कर लिया
 जाये है नो रेखा. को कोई मजिस्ट्रेट
 नहीं है।

मजिस्ट्रेट उभयपक्ष की पत्रावली पर
 बहल सुनी गई। बहल सुनने एवं
 पत्रावली का सर्वोच्च करने पर
 न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रकरण
 का निष्ठाण तकनीकी बिंदुओं के
 माध्यम पर नहीं कर गुणवत्ता
 पर किया जाना न्यायोचित है। निवेदन
 निवेदन स्वीकार किया जाता है मपीलांत
 उतः उतः नंबर पर दर्ज है पत्रावली
 के शेष शुभ नंबर से कम होकर
 बाद तक मपीलांत दाखिल दर्ज है।

राजस्व अपील अधिकारी
 बाइमेर